भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाष : 011–23005700 फैक्स : 011.23005787

दिनांक 05 फरवरी 2013

भाजपा के वरिष्ठ नेता डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य

प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (जून 2009 में) समिति का प्रस्ताव और अमरीका के वित्त विभाग (जुलाई 2009 में) की सार्वजनिक घोषणा से यह साबित होता है कि एलईटी के प्रमुख संयोजक आरिफ उस्मानी ने समझौता विस्फोट के लिए धन पहुंचाया और अल कायदा ने विस्फोट के लिए लोग दिये। यह बात भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा था कि (जनवरी 2010) विस्फोट के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को भाड़े पर लिया गया था। इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी पत्नी (2008 में, 2010 में सार्वजनिक किया गया) फैजा औतालहा की स्वीकारोक्ति के अनुसार हेडली समझौता विस्फोट में शामिल था और अनजाने में वह भी (पारस 21–26) शामिल थी तथा सिमी नेताओं की नार्को प्रभाव में यह गवाही (2007 में जिसे 2008 में सार्वजनिक किया गया) कि उन्होंने हमले में शामिल पाकिस्तानियों को सहायता प्रदान की।
ये पूरी जानकारी सार्वजनिक रुप से उपलब्ध है और इस बात की तरफ इशारा करती है कि विस्फोट में पाकिस्तान और कराची के व्यवसायी आरिफ कस्मानी, एलईटी और अल कायदा, डेविड कोलमैन हेडली और उसकी तीसरी पत्नी फैजा औतालहा शामिल थे जिन्हें सिमी ने इंदौर से सहायता दी लेकिन एनआईए ने जांच में इस बाद को दबा दिया। जो सबूत सामने हैं वह समझौता विस्फोट मामले में एनआईए के आरोपपत्र में मामले को वास्तव में ध्वस्त करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध आयोग में लाए गए निष्पक्ष और विश्वसनीय सबूत इस प्रकार हैं:

ए) प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति का प्रस्ताव (जून 2009 में) (पैरा 18) और अमरीका के वित्त विभाग (जुलाई 2009 में) (पैरा 19) के सार्वजनिक घोषणापत्र कि एलईटी के मुख्य संयोजक आरिफ कस्मानी ने समझौता विस्फोट के लिए धन और अल कायदा ने विस्फोट के लिए लोग दिये।

बी) पाकिस्तान के गृह मंत्री (जनवरी 2010) की स्वीकारोक्ति कि विस्फोट के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को भाड़े पर लिया गया। (पैरा 20)

सी) डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी पत्नी फैजा औतालहा का यह स्वीकार करना (2008 में, 2010 में सार्वजनिक किया गया) कि हैडली समझौता विस्फोट में शामिल था और अनजाने में वह भी (पारस 21–26) शामिल थी और

डी) सिमी नेताओं की नार्को प्रभाव में यह गवाही (2007 में जिसे 2008 में सार्वजनिक किया गया) कि उन्होंने हमले में शामिल पाकिस्तानियों को सहायता प्रदान की। (पैरा 10)

एनआईए के आरोपपत्र में मामले को वास्तव में ध्वस्त करते हैं और राजनीतिक संगठन के बुरे इरादे की पुष्टि करते हैं।

ओ. पी. कोहली
मुख्यालय प्रभारी